लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 376
04 फरवरी, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए

पीएम मित्र पार्कों का आधुनिकीकरण

376. श्री पी. पी. चौधरी:

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) प्रधानमंत्री मित्र योजना के अंतर्गत पाली संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में वस्त्र अवसंरचना के विकास में, विशेषकर इसके मौजूदा वस्त्र संकुल को सुदृढ़ करने के लिए की गई विशिष्ट प्रगति क्या है और इसके अंतर्गत उन्नत की गई सुविधाओं और प्राप्त उपलब्धियां का ब्यौरा क्या हैं;

(ख) क्या पाली के वस्त्र क्षेत्र में और अधिक निवेश आकर्षित करने के लिए किसी विशिष्ट प्रोत्साहन या सहायता उपायों की योजना बनाई गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और अभिरुचि दर्शाने वाले निवेशकों की संख्या कितनी है;

(ग) क्या पाली के वस्त्र संकुल में अवसंरचना की कमी के संबंध में कोई आकलन किया गया है और यदि हां, तो इसके निष्कर्ष क्या हैं और प्रधानमंत्री मित्र योजना के अंतर्गत उनका समाधान करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) पाली के वस्त्र बुनियादी ढांचे के आधुनिकीकरण के लिए सरकारी और निजी योगदान सहित कुल कितने निवेश की योजना बनाई गई है और इससे अपेक्षित रोजगार सृजन और निर्यात में वृद्धि का ब्यौरा क्या है?

उत्तर
वस्त्र राज्य मंत्री
(श्री पबित्र मार्घेरिटा)

(क) से (घ): वस्त्र क्षेत्र में निवेश बढ़ाने, रोजगार के अवसर पैदा करने और निर्यात को बढ़ावा देने के उद्देश्य से, मंत्रालय देश भर के वस्त्र केंद्रों में विश्व स्तरीय, अत्याधुनिक बुनियादी ढांचे के साथ वस्त्र पार्क स्थापित करने के लिए सहायता प्रदान करने हेतु एकीकृत वस्त्र पार्क (एसआईटीपी) योजना लागू कर रहा है। यह योजना 31.03.2021 तक लागू थी; हालाँकि, अब इस योजना को केवल चालू परियोजनाओं को पूरा करने के लिए वस्त्र क्लस्टर विकास योजना (टीसीडीएस) की व्यापक योजना के अंतर्गत शामिल कर दिया गया है। एसआईटीपी के तहत, पाली में एक वस्त्र पार्क को मंजूरी दी गई है, जिसका विवरण **अनुबंध** में दिया गया है।

मंत्रालय नए कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट (सीईटीपी)/मौजूदा प्रसंस्करण क्लस्टरों में सीईटीपी के उन्नयन के साथ-साथ नए प्रसंस्करण पार्कों को सहायता देने के लिए एकीकृत प्रसंस्करण विकास योजना (आईपीडीएस) को भी लागू कर रहा है। आईपीडीएस के तहत, दो परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है, जिनका विवरण अनुलग्नक में दिया गया है।

संशोधित प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना (एटीयूएफएस) के तहत, देश भर में स्थित इकाइयों को मूल्य श्रृंखला और फाइबर में वस्त्र क्षेत्र के विभिन्न खंडों में बेंचमार्क मशीनरी की खरीद के लिए क्रेडिट लिंक्ड कैपिटल इन्वेस्टमेंट सब्सिडी (सीआईएस) प्रदान की जाएगी, जिसमें सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) और छोटी वस्त्र विनिर्माण इकाइयां भी शामिल हैं। इस योजना के तहत पाली (राजस्थान) और उसके आसपास की इकाइयों के लिए 4.67 करोड़ रुपये की सब्सिडी जारी की गई है।

वस्त्र उद्योग की संपूर्ण मूल्य-श्रृंखला के लिए एकीकृत बड़े पैमाने पर और आधुनिक औद्योगिक अवसंरचना सुविधा विकसित करने के लिए, सरकार ने 2021-22 से 2027-28 की अवधि के लिए 4,445 करोड़ रुपये के योजना परिव्यय के साथ ग्रीनफील्ड/ब्राउनफील्ड साइटों में 7 (सात) पीएम मेगा एकीकृत वस्त्र क्षेत्र और अपैरल (पीएम मित्र) पार्क स्थापित करने को मंजूरी दी है। सरकार ने पीएम मित्र पार्क स्थापित करने के लिए तमिलनाडु (विरुद्धनगर), तेलंगाना (वारंगल), गुजरात (नवसारी), कर्नाटक (कलबुर्गी), मध्य प्रदेश (धार), उत्तर प्रदेश (लखनऊ) और महाराष्ट्र (अमरावती) में 7 साइटों को अंतिम रूप दिया है।

इस योजना में कुल परियोजना लागत का 30% विकास पूंजी समर्थन (डीसीएस) योजना दिशानिर्देशों के अधीन ग्रीनफील्ड पार्क के लिए 500 करोड़ रुपये और ब्राउनफील्ड पार्क के लिए 200 करोड़ रुपये प्रदान करने की परिकल्पना की गई है। इस योजना में पार्क में जल्दी से जल्दी विनिर्माण इकाइयां स्थापित करने के लिए प्रोत्साहन के रूप में प्रति पार्क 300 करोड़ रुपये की प्रतिस्पर्धात्मक प्रोत्साहन सहायता (सीआईएस) की भी परिकल्पना की गई है। यह प्रोत्साहन विस्तृत योजना दिशा-निर्देशों में उल्लिखित शर्तों को पूरा करने के अधीन है।

अनुबंध

एसआईटीपी के अंतर्गत परियोजना का विवरण

(करोड़ रुपए में)

परियोजना का नाम	कुल परियोजना लागत	भारत सरकार का स्वीकृत हिस्सा	भारत सरकार का हिस्सा जारी	वर्तमान स्थिति
नेक्स्टजेन टेक्सटाइल पार्क	101.40	40	40	पूर्ण

आईपीडीएस के अंतर्गत परियोजना का विवरण

(करोड़ रुपए में)

परियोजना का नाम	कुल परियोजना लागत	भारत सरकार का स्वीकृत हिस्सा	भारत सरकार का हिस्सा जारी	वर्तमान स्थिति
पाली कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट	100	50	37.50	क्रियान्वयनाधीन
नेक्स्टजेन टेक्सटाइल पार्क	129.42	64.71	6.30	क्रियान्वयनाधीन

****